मरीज में डायाफ्राम खिसकने से छोटा हुआ एक फेफड़ा

110 किलो का पेशेंट सांस फूलने-खांसी से परेशान था; एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने की रोबोटिक सर्जरी

जयपुर, 24 फरवरी (का.सं.)। जयपुर में एक मरीज का फेफड़ा बहुत छोटा हो गया था। इससे उसे सांस लेने में तकलीफ और खांसी की शिकायत बढ़ गई। 110 किलो के मरीज की रोबोटिक सर्जरी कर डॉक्टरों ने उसे राहत दिलाई। मरीज के वजन के कारण ओपन या दूरबीन से सर्जरी मुश्किल थी।

जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल (SMS) में जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने यह सर्जरी की। डॉक्टरों ने सर्जरी कर छोटा हो गए फेफड़े को ठीक किया। इससे मरीज लंबे समय से सांस फूलने और खांसने की बीमारी से परेशान था, उसे राहत मिली।

एसएमएस हॉस्पिटल के सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. अमित गोयल ने बताया- जयपुर निवासी रमेश (57) को लंबे समय से पैदल चलने, सीढ़ियां चढ़ने और भारी काम करने पर सांस फूलने, खांसी होने की शिकायत थी। मरीज के फेफड़ों के नीचे मौजूद डायाफ्रामेटिक इवेंट्रेशन अपनी सामान्य स्थिति से काफी ऊपर खिसक चुका था। इससे उसे परेशानी हो रही थी।सांस लेने और लगातार खांसी की शिकायत

थी डॉ. अमित गोयल ने बताया- मरीज जब पिछले महीने ओपीडी में दिखाने आया तो उसकी सीटी स्कैन और अन्य दूसरी जांच करवाई। सीटी स्कैन जांच में पता चला कि व्यक्ति के फेफड़ों के नीचे मौजूद डायाफ्रामेटिक इवेंट्रेशन सामान्य स्थिति से काफी ऊपर खिसक चुका था। इसके कारण बायां फेफड़ा बहुत छोटा हो गया। इससे मरीज को सांस लेने में तकलीफ और लगातार खांसी की शिकायत होने लगी। इसके बाद हमारी टीम ने सर्जरी करके इस बीमारी को दूर किया। अस्पताल में मरीज 27 जनवरी को भर्ती हुआ। वहीं उसका ऑपरेशन 8 फरवरी को किया गया। ऑपरेशन में डॉ. प्रवीण जोशी, रेजिडेंट डॉ. गानवी, डॉ. रजत, डॉ. कविता, डॉ. गरिमा, डॉ. जय एवं डॉ. सिद्धार्थ का सहयोग रहा। एनेस्थीसिया विभाग से प्रोफेसर डॉ. सुशील भाटी, डॉ. इंदु वर्मा और डॉ. सुनील चौहान ने सहयोग दिया।

कुछ छेद करके डायाफ्राम को खींचकर नीचे लाई टीम

डॉ. गोयल ने बताया- जांच में मरीज की बीमारी ट्रेस होने के बाद उनके वजन के कारण सबसे बड़ी समस्या सर्जरी करना था। सर्जरी में मरीज के शरीर पर कुछ छेद करके डायाफ्राम जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका था, उसे खींचकर नीचे लाए और उसे एक आर्टिफिशियल जाली से जोड़कर उसे पेट के हिस्से के नजदीक लाकर छोड़ा। करीब 2 घंटे की सर्जरी में मरीज का बायां फेफड़ा, जो छोटा हो रहा था। उसे फैलने का स्पेस मिल गया और वह सांस लेने के दौरान खुलकर बड़ा हो गया।

सवाई माधोपुर BDO एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

सवाई माधोपुर, 24 फरवरी (का.सं.)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), जयपुर की टीम ने सवाई माधोपुर में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति सवाई माधोपुर के ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) और अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबंधक को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी जयपुर नगर-प्रथम की टीम ने यह ट्रैप कार्रवाई की।

कार्यमुक्त नहीं करने की एवज में मांगी रिश्वत

एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार BDO जगदीश प्रसाद मीणा पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता व उसके 2 साथियों से बीपीएम पद से कार्यमुक्त न करने और लंबित यात्रा भत्ता व अन्य बिल पास कराने की एवज में प्रत्येक से 1-1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी।

शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत एसीबी मुख्यालय को दी थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी द्वारा दोनों अन्य कर्मचारियों की रिश्वत राशि भी परिवादी से ही एकत्र कर लाने का दबाव बनाया जा रहा था।

पुलिस थाना केकड़ी शहर की कार्रवाई: अवैध बजरी परिवहन करते दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 24 फरवरी (दीपांकुर चौहान)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध बजरी खनन, निर्गमन एवं भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना केकड़ी शहर ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे दो ट्रैक्टर मय ट्रॉली जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा (IPS) द्वारा जिले के समस्त थानाधिकारियों को अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों की पालना में राजेश मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, केकड़ी (जिला अजमेर) के निर्देशन तथा हर्षित शर्मा वृत्ताधिकारी, वृत्त केकड़ी के सुपरविजन में थानाधिकारी, थाना केकड़ी शहर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। दिनांक 24.02.2026 को गठित टीम द्वारा विशेष अभियान के तहत क्षेत्र में गश्त एवं चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान किशन लाल स.उ.नि. मय जाप्ता ने दो ट्रैक्टर मय ट्रॉली को अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुए पकड़ा। दोनों ट्रैक्टरों के पास न तो ई-रवाना था और न ही रॉयल्टी संबंधी वैध दस्तावेज। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को जब्त कर थाने में सुरक्षित खड़ा करवाया। मामले की सूचना खनिज अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग सावर, जिला अजमेर को दे दी गई है। आगे की वैधानिक कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

जब्त वाहन विवरण-ट्रैक्टर सोनालिका डी.आई. 35 (बिना नंबर) मय अवैध बजरी,ट्रैक्टर सोनालिका डी.आई. 35 (बिना नंबर) मय अवैध बजरी कार्रवाई में शामिल टीम-बनवारी लाल, उ.नि., आई.सी. थाना केकड़ी शहर,किशन लाल, स.उ.नि., नीरज सिंह, पुखराज, भागचंद, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

SKN COLLEGE OF AGRICULTURE

(Sri Karan Narendra Agriculture University) JOBNER- 303329 Distt. Jaipur (Raj.)
Phone: 01425-254022 (O), E-mail: dean.skncoa@sknau.ac.in Website: https://sknccoa.sknau.ac.in

No. :- CHW/SKNCOA/2026/2892 Date :- 18/02/2026

OPEN TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from the reputed firms for the Supply of "Dining Chairs and Mattresses". The tender can be downloaded from State Procurement Portal website **www.sppp.rajasthan.gov.in** or University website **www.sknau.ac.in** or will be available in working days from 18.02.2026 to 25.02.2026 up to 10.30 AM. The tender will be accepted up to 25.02.2026 (10.30 AM) and will be opened on the same day at 11.30 AM by the competent committee at SKN College of Agriculture, Jobner, Jaipur.

UBN : SKN2526GSOB00475

Raj.Samwad/C/25/21071 **DEAN**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
सीआईएन: L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय: - केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई- 600031.
फोन: +91 44 4564 4000 / फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण का लाभ उठाया है। नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं। चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, उनके ऋण को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर आगे ब्याज भी लागू होगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) नोटिस की तारीख	धारा 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	34507461	गृह ऋण	10.07.2024	19,31,423.52/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. प्रदीप दाधीच 2. मंजू डूंगर मल

संपत्ति का पता: वह सारा टुकड़ा और पार्सल फ्लैट/यूनिट संख्या **F**-101, क्षेत्रफल 910 वर्ग फुट (सुपर बिल्ट-अप एरिया), प्रथम मंजिल, प्लॉट संख्या **B**-162, स्कीम अमरापाली नगर, धवास, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान-302021, **और सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: 30 फुट चौड़ी सरकारी सड़क, पश्चिम: प्लॉट संख्या B-176, उत्तर: पश्चिमी दिशा में प्लॉट संख्या B-180 और पूर्वी दिशा में प्लॉट संख्या B-161, दक्षिण: प्लॉट संख्या B-163**

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) नोटिस की तारीख	धारा 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2.	15245503	गृह ऋण	27.01.2026	5,16,134.67/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. प्यारेलाल मीणा 2. कंगना देवी

संपत्ति का पता: वह सारा टुकड़ा और पार्सल यूनिट संख्या जी-2, भूतल पर, क्षेत्रफल 494.00 वर्ग फुट (निर्मित क्षेत्र), प्लॉट संख्या 1-32, आवासीय योजना ''मंगलम सिटी विस्तार'', ब्लॉक-**I,** गांव: पिथावास और निवारू (हाथोज), कालवाड़ रोड, तहसील और जिला: जयपुर, राजस्थान-302012 में स्थित है। **संपूर्ण प्लॉट की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में सरकारी सड़क (30 फुट), पश्चिम में प्लॉट संख्या 1-52, उत्तर में प्लॉट संख्या 1-33, दक्षिण में प्लॉट संख्या 1-31**

आपसे कहा जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)** को संबंधित तारीखों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि के साथ इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)** को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लेखित बंधक संपत्तियों के खिलाफ एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री/पट्टे या अन्यथा रूप से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 25.02.2026 **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, के साथ समामेलित**
स्थान: राजस्थान **आईडीएफसी बैंक लिमिटेड और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)**

दुर्लभ ए-नेगेटिव रक्तदान कर रक्तवीर मनीष नामा ने बचाई महिला की जान

नामा का अपने जीवन का ये 23वां रक्तदान

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 24 फरवरी (दीपांकुर चौहान)। मानवता और सेवा की मिसाल पेश करते हुए केकड़ी निवासी रक्तवीर मनीष नामा ने आपात स्थिति में दुर्लभ ए-नेगेटिव रक्तदान कर एक महिला मरीज की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव ने जानकारी दी कि राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी के रक्तकोष विभाग से सूचना मिली कि सरवाड़ क्षेत्र के जडाना गांव की एक महिला मरीज अस्पताल में भर्ती है और उसके उपचार के लिए तत्काल ए-नेगेटिव रक्त की अत्यंत आवश्यकता है। रक्तकोष विभाग के सीनियर डॉक्टर मुनेश गौड़ ने बताया कि नेगेटिव रक्त समूह अत्यंत दुर्लभ होते है इस कारण सहजता नहीं मिलता है। रक्तकोष विभाग द्वारा भी अपने स्तर पर ए नेगेटिव रक्तदाताओं से संपर्क जारी रखा ।

इस दौरान केकड़ी निवासी निजी नर्सिंग सेवक मनीष नामा से संपर्क किया गया। जैसे ही उन्हें स्थिति की गंभीरता का पता चला, उन्होंने बिना देर किए रक्तदान के लिए सहमति दे दी और तुरंत अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंचकर अपना अमूल्य ए-नेगेटिव रक्तदान किया। उनके समय पर किए गए इस योगदान से महिला मरीज को जीवनदान मिला।

विशेष बात यह है कि मनीष नामा ने यह अपने जीवन का 23वां रक्तदान किया है, जो उनके निरंतर सेवा भाव और मानवता के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

मरीज के परिजनों ने मनीष नामा का भावुक होकर आभार व्यक्त किया और उन्हें रक्तवीर बताते हुए धन्यवाद दिया। वहीं राजकीय जिला अस्पताल के रक्तकोष विभाग के डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों ने भी आपात स्थिति में तत्परता दिखाने और समय पर पहुंचकर रक्तदान करने के लिए मनीष नामा की सराहना की। विभाग के सिनियर लैब टेक्नीशियन महावीर विजयवर्गी एवं पदम कुमार जैन ने कहा कि केकड़ी क्षेत्र जब जब विकट समय में रक्त की आवश्यकता होती है तो सामाजिक संगठन एवं मनीष नामा जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा बन कर आगे आते हैं, जिनकी निस्वार्थ सेवा से जरूरतमंदों को नया जीवन मिलता है।

बिल्डिंग हादसे में घायल महिला की मदद को बढ़े हाथ

कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंच जानी स्थिति, आर्थिक मदद की

कोटा, 24 फरवरी (का.सं.)। कोटा के इन्द्र विहार में तीन मंजिला रेस्टोरेंट ढ़ह जाने से घायल महिला सुदिप्ता के इलाज के लिए अब मदद के हाथ आगे बढ़ने लगे है।

मंगलवार को कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने पीडित महिला और उसके परिवार से मुलाकात कर स्थिति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सुदिप्ता के पति अभिजीत को उन्होंने इलाज में आर्थिक मदद के लिए चैक भी सौंपा।

अभिजीत कर्माकर का बेटा अनारण्य दो साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। मां सुदिप्ता भी उसके साथ देखभाल के लिए रहती थी। 7 फरवरी की रात इंद्र विहार इलाके में स्थित तीन मंजिला रेस्टोरेंट में दोनों खाना खाने गए थे।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सदुल सिंह, दक्षिण भाग प्लॉट संख्या 03 (जिसे प्लॉट संख्या 3-ए के नाम से जाना जाता है), योजना 'करणी विहार', सुषान्त सिटी फर्स्ट ग्राम नारी का बास, जिला जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 161.7 वर्गगज के विधिवत स्वामी एवं कब्जाधारी हैं। उक्त भूमि खसरा संख्या 50, 51 एवं 52, कुल क्षेत्रफल 30730.75 वर्गगज, का आवासीय रूपांतरण आदेश संख्या 5778 दिनांक 24.04.2006 द्वारा जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा मैसर्स युवराज एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में, इसके निदेशक श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री शक्ति सिंह के माध्यम से किया गया था। तत्पश्चात मैसर्स युवराज एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कॉलोनी विकसित कर प्लॉट संख्या 03, क्षेत्रफल 323.4 वर्गगज का कब्जा पत्र दिनांक 05.05.2007 को श्री रवि यादव पुत्र श्री कालूराम यादव के पक्ष में जारी किया गया। इसके पश्चात श्री रवि यादव पुत्र श्री कालूराम यादव द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23.08.2024 के माध्यम से उक्त संपत्ति श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सदुल सिंह के पक्ष में विक्रय की गई, जिसका पंजीयन दिनांक 27.08.2024 को उप-पंजीयक कार्यालय जयपुर-III में, पुस्तक संख्या 1, वॉल्यूम संख्या 1121, पृष्ठ संख्या 09, क्रमांक 202403017113356 पर प्लॉट संख्या 3-ए, क्षेत्रफल 161.7 वर्गगज (साइट प्लान सहित) के रूप में संपन्न हुआ। अतः श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सदुल सिंह उक्त संपत्ति के पूर्ण एवं वैध स्वामी हैं तथा उक्त संपत्ति को विक्रय/हस्तांतरण करने के अधिकारी हैं, एवं प्रस्तावित क्रेता इस संपत्ति के विरुद्ध किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त संपत्ति के संबंध में कोई आपत्ति, दावा, अधिकार, हित या भार (एन्कम्ब्रेस) हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी को सूचित करे, अन्यथा ऐसे दावे निरस्त माने जाएंगे।

मुकुंद पंचारिया (अधिवक्ता) मो. 7793033590, 9829290229

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.03.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :
नागपुर , विजय वल्लभ चौक नागौर, 138430700004079,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051
कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 400059
शाखा कार्यालय: पहली मंजिल, जी.के. टावर, प्लॉट नंबर 14, सरदुल कॉलोनी, अंबेडकर सर्कल, बीकानेर- 334001

जबकि
प्रतिभूतिकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे हस्ताक्षरकर्ता आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है। प्रवर्तन) नियम 2002 ने नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया।
चूंकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उक्त अधिनियम नीचे उल्लेखित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।
सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम/ ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ कब्ज़ा की तिथि	सूचना मांग की तारीख /मांग सूचना	शाखा का नाम
1.	मनीष गोयल (उधारकर्ता), अर्चना सक्सैना (सह-उधारकर्ता), बी 12 चाणकया नगर शिवबाड़ी रोड, अकासर, फ्लैट, अकासर, बीकानेर राजस्थान 334001. एलएचबीकेआर00001567321	वाई 114 सुदर्शन नगर वल्लभ गार्डन बीकानेर बीकानेर हो बीकानेर राजस्थान भारत 334001 बीकानेर राजस्थान 344023, सीमाएँ: उत्तर में 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण में प्लॉट संख्या 135 और 136, पूर्व में प्लॉट संख्या 115, पश्चिम में प्लॉट संख्या 113, कब्ज़ा प्राप्त करने की तिथि: 20-02-2026	24-10-2025 रु. 44,96,505.82/-	बीकानेर
2.	मनीष गोयल (उधारकर्ता), अर्चना सक्सैना (सह-उधारकर्ता), बी 12 चाणकया नगर शिवबाड़ी रोड, अकासर, फ्लैट, अकासर, बीकानेर राजस्थान 334001. एलएचबीकेआर00001664845	वाई 114 सुदर्शन नगर वल्लभ गार्डन बीकानेर बीकानेर हो बीकानेर राजस्थान भारत 334001 बीकानेर राजस्थान 344023, सीमाएँ: उत्तर में 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण में प्लॉट संख्या 135 और 136, पूर्व में प्लॉट संख्या 115, पश्चिम में प्लॉट संख्या 113, कब्ज़ा प्राप्त करने की तिथि: 20-02-2026	24-10-2025 रु. 15,31,801/-	बीकानेर

उपर्युक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों को राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेच दिया जाएगा। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधान।
दिनांक: 25 फरवरी, 2026 **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान : बीकानेर **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

सार्वजनिक नोटिस

पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051
कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400059
शाखा का पता: दूसरी मंजिल, एससीओ 337-38, सेक्टर 35-बी, चंडीगढ़- 160022

निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (''आईसीआईसीआई एचएफसी'') से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है और ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 की धारा 13 (2) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था, हालांकि इसे तामील नहीं किया गया था और इसलिए उन्हें इस सार्वजनिक सूचना माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/ का नाम (ऋण खाता संख्या) और पता	संपत्ति का पता सुरक्षित संपत्ति/परिसंपत्ति को लागू किया जाना है	नोटिस भेजने की तिथि/नोटिस की तिथि पर बकाया	एनपीए दिनांक
1.	अमन सचदेवा (उधारकर्त्ता), प्राण सचदेवा (सह-उधारकर्त्ता), मेट्रोपोल कॉटेज एस्टेट, लिफ्ट के पास, शिमला शहरी (टी), शिमला जी.पी.ओ., शिमला शहरी (टी), शिमला जी.पी.ओ., शिमला, शिमला 171001 हिमाचल प्रदेश, **NHSHM**00001249637	अपार्टमेंट नंबर 902, नौवीं मंजिल, टावर ए6, एवलॉन रोजवुड, अलवर बाईपास रोड 301019, राजस्थान, सीमाएँ-	18-02-2026 रु. 7,89,834.1/-	03-02-2026

नोटिस की प्रतिस्थापित सेवा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ताओं और/या उनके गारंटरों (जैसा लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाया भुगतान करें अन्यथा प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण वित्तीय संपत्ति और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।
दिनांक: 25 फरवरी 2026, **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान: भिवाड़ी **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड

ART HOUSING FINANCE Own your dreams

पंजीकृत कार्यालय: 107, बेस्ट स्काई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034
शाखा कार्यालय: 49, उद्योग विहार, फेस-4, गुरूग्राम, हरियाणा - 122015

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित अधिनियम 2022 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 **(''अधिनियम')** के अंतर्गत बंधककृत गिरवी रखी गई अचल संपत्ति का ई-नीलामी विक्रय। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता/बंधककर्ताओं/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि **एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने कंपनी की बकाया राशियों तथा यहां नीचे तालिका में विवरणितानुसार ब्याज की वसूली करने के लिये **''जैसी है जहां है आधार तथा जैसी है जो है आधार''** पर निम्न वर्णित निम्नलिखित संपत्ति (यों) को विक्रय करने के अधिकार के साथ ऋण खाता सं. **LNBSR01518-190006333 और LNKOT06917-180001675** के अंतर्गत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत की गयी मांग के अनुपालन में उनका अधिग्रहण/कब्जा कर लिया था, और जबकि बकाया राशियों का बकाया चुकाने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत, उक्त संपत्ति (यों) के विक्रय द्वारा कंपनी की बकाया राशियों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। अतः निम्न तालिका में वर्णित संपत्ति (यों) का विक्रय, वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा से संचालित किया जायेगा ।

ऋण खाता धारकों के नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि तथा मांग सूचना तिथि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि और समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि
क) ओमप्रकाश छीपी (उधारकर्ता) ख) ज्योति देवी (सह-उधारकर्ता) ग) ब्रिज मोहन चिप्पी (गारंटर)	संपत्ति पट्टा सं. 43, गांव - फतेहपुर, पंचायत-मोठूका, तहसील-बानसूर जिला - अलवर, राजस्थान-301402 में स्थित है। (जिसका माप 84.44 वर्ग. गज)	रू. 08.78.750/- दिनांक 05.10.2024 तक मांग सूचना तिथि 07.10.2024	रू. 9,00,000 / रू. 90,000 / रू. 10,000	13.03.2026 को दिन के 11 बजे से 02:00 बजे अपराह्न तक	12.03.2026 को 05:00 बजे अपराह्न तक
क) दिलीप कुमार उर्फ दिलीप कुमार पटोदिया (ऋणकर्ता) ख) ममता पटोदिया उर्फ ममता (सह-ऋणकर्ता) ग) भवानी शंकर (गारंटर)	संपत्ति का पट्टा सं. एफ (49), 62.20 वर्ग मीटर का क्षेत्र, हनुमान जी का मंदिर के पास, रामचन्द्रपुरा, छावनी, कोटा, राजस्थान।	रू. 8,55,968/- दिनांक 05.11.2025 तक मांग सूचना तिथि 06.08.2025	रू. 21,00,000 / रू. 2,10,000 / रू. 10,000	14.03.2026 को दिन के 11 बजे से 02:00 बजे अपराह्न तक	13.03.2026 को 05:00 बजे अपराह्न तक

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण -
श्री मनोज कुमार पाल, मोबाइल नंबर 8130908211, ईमेल आईडी: manoj.pal@arthfc.com

नियम एवं शर्तें 1. इच्छुक बोलीदाताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपनी ईएमडी वेब पोर्टल : **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से जमा करनी होगी (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com** पर नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है)। ईएमडी निम्नलिखित खाते में **एनईएफटी/आरटीजीएस** के माध्यम से देय होगी **50200049383517, आईएफएससी कोड HDFC0000273,** जो कि **उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तिथि को अधिकतम सायं 05:00 बजे तक या उससे पहले जमा करनी होगी।** कृपया ध्यान दें कि **चेक ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।** 2. हालाँकि, कंपनी किसी भी बकाया/ऋणभार/कर बकाया, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभारों, संपत्ति (यों) के स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए और स्वयं का निरीक्षण करना चाहिये और स्वयं को संतुष्ट होना चाहिए। संपत्ति का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई तिथि और समय के अनुसार ही किया जा सकता है। 3. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोलीदान प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करने, इत्यादि कार्यों में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हेल्पलाइन नंबर 124430 2020/21/22/23, 7291981124/1125/1126, श्री मन्नूर बालाजी गोविंदराजन**, ईमेल: delhi@c1india.com से संपर्क कर सकते हैं, संपर्क नंबर **+91 7977701080** और संपत्ति संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए कार्य दिवसों के दौरान कार्यालय समय (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) में ऊपर बताए अनुसार प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 4. उच्चतम बोली, प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए प्राप्त हुये किसी भी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। 5. विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए **https://www.bankeauctions.com** देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत 15 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

नोट: उधारकर्ता/गारंटर/बंधककता सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के अंतर्गत नीलामी तारीख से पहले पूरी राशि का भुगतान करके ऋण मोचन कर सकते हैं। ऐसा न करने पर, बिक्री जारी रहेगी।
दिनांक: 23.02.2026 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : अलवर कोटा (राजस्थान) **एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड**

Bandhan Bank | **रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छ: रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन : +91-79-26421671-75**

सांकेतिक आधिपत्य (कब्जा) सूचना

एतदर्थ सूचना दी जाती है कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(12) एवं प्रतिभूतिहित प्रर्वतन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने खाते(अकाउंट) के सामने उल्लेखित तिथि को डिमांड नोटिस (मांग पत्र) भेजा था व नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर राशि की मांग की गई थी। ऋणी द्वारा भुगतान करने में असफल रहने पर कर्जदार और आम जनता को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम कि धारा 13 की उपधारा(4) सपठित नियम 8 के तहत नीचे लिखे लोन खातों में वर्णित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अतः आप कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्तियों के बारे में कोई व्यवहार न करें और इन संपत्तियों के साथ किसी व्यवहार पर वह राशि, ब्याज, खर्च एवं शुल्क के साथ बैंक को चुकाना होगा । सुरक्षित सम्पत्ति को रिडीम/वापस लेने के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत ऋणियों का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

ऋणियों के नाम, गेरन्टर और ऋण खाता सं.	बंधक संपत्ति का विवरण (प्रतिभूती आस्तियां)	मांगपत्र की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	कुल बकाया राशि, मांगपत्र की तारीख तक
शरफुद्दीन कुरैशी श्रीमारी फोजिया कुरैशी श्री मंजूर आलम कुरैशी 90001162222771 90001165142462	सभी चल और अचल संपत्ति, जो प्लॉट नंबर एफ- 82, दिया पार्क एक्सटेंशन, खसरा नंबर 78, ग्राम- हनुवंतखेड़ा, कोटा (राज.) में स्थित है और जो आवरित है: 1305 वर्ग फिट उत्तर: दूसरी ज़मीन, पूर्व: प्लॉट नंबर एफ-81, पश्चिम: प्लॉट नंबर एफ-83, दक्षिण: रोड 40 फिट	फरवरी 26, 2025	फरवरी 19, 2026	रु.85,52,004.69 (जनवरी 29, 2025 तक)

स्थान: राजस्थान **प्राधिकृत अधिकारी**
तारीख: फरवरी 25, 2026 **बंधन बैंक लिमिटेड**

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -4-क अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय: - 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली -110001 फोन: - 011-23357171, 23357172, 23705414, **वेबसाइट: www.pnbhousing.com**
कोटा शाखा:- पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्लॉट नंबर-286, द्वितीय तल, शॉपिंग सेंटर, कोटा-324006, राजस्थान

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर-डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर-सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना की राशि और तारीख (बी)	कब्जा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
NHL/KOTA/0822/1018013, बी.ओ.: कोटा, स्वर्गीय समीर गुप्ता / प्रीति गुप्ता के सभी कानूनी उत्तराधिकारी और स्वर्गीय मंजू गर्ग के सभी कानूनी उत्तराधिकारी	04.04.2024 तक रु. 52,25,171.74	भौतिक कब्जा	मकान नंबर 75 नटराज कॉलोनी, आर्य समाज रोड चावल फैक्ट्री, के सामने कोटा, राजस्थान-324002	रु. 5379000	रु. 537900	26.03.2026	रु. 20000	16.03.2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5:30 बजे	27.03.2026 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर-के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है। **1.** आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर-के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। **3.** कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। **4. मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरूग्राम, हरियाणा-122003 वेबसाइट-**www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **अश्विनी कुमार शर्मा, संपर्क नंबर 1800120 8800,** या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखें।

स्थान : कोटा, दिनांक : 25.02.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**